

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5539 /

जबलपुर, दिनांक ०३/०८/२०२३

श्री राहुल बिष्ट, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को “सीसीएस विश्वविद्यालय, मेरठ एवं डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ से मान्यता प्राप्त यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश से एल.एल.बी त्रि-वर्षीय” पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(रामकुमार चौधरी)

Ram रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5540 /

जबलपुर, दिनांक ०३/०८/२०२३

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए (एस.ए), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. डिप्टी रजिस्ट्रर(एम) प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) (स्था.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री राहुल बिष्ट, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट (वर्तमान में मध्यप्रदेश भवन, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में पदस्थ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(विकास चन्द्र मिश्रा)

Ram रजिस्ट्रार (प्रशासन)